रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

मेरा भारत महान

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 45 ● अंक – 16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2023 ● प्रधान सम्पादक – डा० एम० एच० इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (EHMAI)

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं संस्थाओं का एक राष्ट्रीय संगठन है जिसे सरकार की भी पूर्ण सहमति है इसी की पुष्टि में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा आदेश संख्या **C.30011/22/ 2010-HR** दिनांक 21–06– 2011 को जारी किया गया था, इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश संख्या **R14015/ 25/96-U& H(R)(Pt.)** दिनांक 25–11–2003 एवं संख्या **V. 25011/276/2009-HR** दिनांक 05–05–2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा, चिकित्सा एवं अनुसंधान के सम्बंध में राज्य सरकारें एवं केन्द्र शासित प्रदेश इसे भारत सरकार का आदेश मानें, भारत सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा, चिकित्सा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में निर्बाध रुप से कार्य किया जाये, भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को जारी किया गया है इसलिये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) का यह दायित्व है कि सरकार द्वारा आदेश में इंगित क्षेत्रों में कार्य करे।

भारत सरकार द्वारा संदर्भित आदेशों में यह स्पष्ट रुप से कहा गया है कि जब तक सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती है तब तक आदेश संख्या **R.14015/25/96-U& H(R)(Pt.)** दिनांक 25–11–2003 के अनुसार शिक्षा एवं चिकित्सा पर कोई भी रोक नहीं है, चूंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) को एक नियामक संगठन माना गया है इस कारण सरकार के इस निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं, औषधि उत्पादन कर्ताओं एवं

उत्पादनकर्ताओं एवं विक्रेताओं का प्रमाणीकरण करेगी

विक्रेताओं हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं साथ ही चिकित्सकों एवं औषधि उत्पादन कर्ताओं के प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) के विधान में प्रविधान है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में अति आवश्यक है, जब तक औषधि उत्पादन हेतु सरकार द्वारा कोई भी प्रविधान नहीं किया जाता है तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बंधित समस्त प्रमाणीकरण का कार्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) द्वारा किया जायेगा चूंकि औषधियों का सम्बंध सीधे मानव शरीर से है इस कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) की यह प्रबल इच्छा है कि जनमानस को ऐसी औषधियां प्राप्त हों जो मानकों के अनुरुप हो इस कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि उत्पादन करने वाली इकाइयों को चाहिये कि वे जनमानस को मानक युक्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां उपलब्ध कराने का प्रयास करें जिससे जनमानस को कोई हानि न हो एवं औषधि उत्पादक इकाईयां भी सुरक्षित रहें।

इस दिशा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर इस कार्य को गति प्रदान करेगी तथा बॉटनिस्ट, केमिस्ट एवं फार्माकोलॉजिस्ट तथा विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मनोनयन कर कार्य को गति प्रदान करेगी, आवश्यकतानुसार औषधि अनुसंधान के क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग भी लेगी, औषधियों की जाँच हेतु प्रयोगशालाओं **(Testing Labs.)** के चयन का भी निर्णय लिया जायेगा।

Electro Homoeopathic Medical Association of India

(An Organization of Electro Homoeopathic Practitioners & Institutions)

Recipient of ORDER NO C.30011/22/2010-HR

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

Department of Health Research

Adm.Office: 8-Lal Bagh, Lucknow-226001 E-mail : ehmaik@gmail.com

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर UGC निष्प्रभावी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रभावी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें न तो डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करती हैं और न ही अपने नाम में विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करती हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष पद्धतियों पर भी इसका प्रभाव नहीं है क्योंकि देश में संचालित चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष पद्धतियों के संचालन के लिये संसद द्वारा पारित कानून हैं यथा इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956, सेन्ट्रल इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1970 एवं सेन्ट्रल होम्योपैथिक काउन्सिल एक्ट 1973 तथा इसके स्थान पर स्थापित होने वाले अधिनियम।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिये भी केन्द्र सरकार द्वारा आदेश संख्या 14015/25/96–यू एण्ड एच (आर) (पार्ट) दिनांक 25 नवम्बर, 2003 जारी किया गया है।

महत्व पंजीयन का

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पंजीयन को महत्व बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इसलिये देती रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विधि सम्मत ढंग से स्थापित किया जा सके तथा अन्य स्थापित मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से समतुल्यता की जा सके, यह तो विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का इसकी स्थापना से ही रहा है, समय–समय पर इसका परीक्षण भी होता रहा है जिसमें बोर्ड सदैव खरा उतरा है, सन 2000 की घटना को शायद ही कोई भूला होगा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, इसने मात्र चिकित्सकीय पंजीयन ही नहीं अपितु एक नये पंजीयन को भी जन्म दे डाला जिसे आजकल जनपदीय पंजीयन के नाम से आप सभी भली –भाँति परिचित हो चुके होंगे, पंजीयन की गम्भीरता को महाराष्ट्र राज्य ने बहुत ठीक से समझा इससे सम्बंधित एक समाचार सोशल मीडिया में बहुत तीव्र गति से टहल रहा है, महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने यह जानते हुये कि राज्य में मान्यता प्राप्त करने का कोई विधान नहीं है फिर भी राज्य सरकार से महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 में संशोधन के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थान देने की माँग की है, अध्यक्ष सतीश जगदाले द्वारा जारी यह समाचार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है....

" महाराष्ट्र विधान भवन में चल रहे विधान सभा सत्र में 25 जुलाई, 2023 को विधान सभा के उपाध्यक्ष माननीय नरहरी झीरवाल सहित चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरिफ और सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी, इस बैठक में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की प्रैक्टिस से सम्बंधित सभी समस्याओं को स्थायी रुप से दूर करने के लिये गम्भीर चर्चा हुयी, महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 के प्रावधान के 33(1) के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को पंजीकृत करने के लिये सहमति प्रदान की गयी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली सस्ती तीव्र प्रभावी और दुष्परिणाम रहित हर्बल चिकित्सा पद्धति है, महाराष्ट्र में लगभग 25 साल से इस पद्धति के 30 हज़ार चिकित्सक अपने व्यवसाय कर रहे हैं, इन चिकित्सकों द्वारा आज तक लाखों मरीज़ों का उपचार किया जा चुका है, सरकार की ओर से इस सिस्टम में प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है फिर भी इन चिकित्सकों का महाराष्ट्र सरकार की ओर से पंजीकरण न होने से स्थानीय ज़िला प्रशासन की ओर से बार–बार प्रैक्टिस पर रोक लगाने का प्रयास होता है, इस विषय पर स्थायी हल निकालने की ज़रुरत है, इस विषय में महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 के 33(1) के प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार की ओर से एक Offical Gazette करके अनुमति देने की व्यवस्था हो, जब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस विषय में कानून सम्मत नहीं होता है तब तक राज्य सरकार को अपने संवैधानिक अधिकार में अपने राज्य तक सीमित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करने का हक है, इससे महाराष्ट्र के चिकित्सकों को स्थायी समाधान मिलेगा और साथ ही जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सिस्टम की मान्यता प्रदान होगी तब स्थापित होने वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल में इन लोगों को वर्गीत किया जायेगा, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष डा0 सतीश जगदाले द्वारा दिये गये इस सुझाव के बाद माननीय मंत्री महोदय द्वारा जल्द ही इस प्रस्ताव पर फैसला लेने के आदेश अधिकारियों को दिये गये हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति के सदस्य महाराष्ट्र के संचालक आयुष भी इस बैठक में शामिल हुये"।

राजस्थान राज्य में भी इसी प्रकार की माँग उठ रही है जब कि वर्ष 1918 में तत्कालीन सरकार द्वारा विधान सभा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु पारित विधेयक जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है उसके अधीन बोर्ड के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य में आन्दोलन चलाया जा रहा है, अब तो राजस्थान का चिकित्सक भी जागरुक हो चुका है, अब वह भी चाहता है कि उसके राज्य में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन हो , वह यह भी जानता है कि बोर्ड के गठन के बिना पंजीयन असम्भव है।

पाठक गणों को बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को दिनांक 04 जनवरी, 2012 को एक शासनादेश जारी किया जा चुका है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, पंजीयन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करने की पूर्ण अनुमति प्रदान की गयी है इसी प्रकार के आदेश अन्य प्रदेशों में भी जारी होना चाहिये।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया
भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त देश की एक मात्र संस्था

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान

National Drugs & Pharmaceutical
127/204 'S' Juhi,
KANPUR-14

पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा घोषित महत्वपूर्ण तिथियां

समाज में जिन्दा रहने एवं स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि जब जब महत्वपूर्ण घटनायें घटी हैं उन घटनाओं को हम याद रखें तथा उन्हें स्मरणीय बनाते हुए प्रेरणा लें, जो हमें सतत् आगे बढ़ते रहनें में सहयोग करें इसलिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने वर्ष 2014 में महत्वपूर्ण तिथियों को लगातार मनाये जाने के लिए स्मरणीय तिथियां घोषित की थी, जो क्रम वार है इनके बारे में जानकारी हेतु आवश्यक सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

4 जनवरी – वर्ष के प्रारम्भ होते ही यह महत्वपूर्ण तिथि हम अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, आज ही के दिन 4 जनवरी 2012 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए कार्यालय ज्ञाप जारी कर प्रदेश में व्याप्त आसमंजस समाप्त कर दिया गया था व इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा व शिक्षा के लिए अधिकार दिया था, यह महत्वपूर्ण तिथि अधिकार दिवस के रूप में मनायी जाती है।

11 जनवरी – आज के दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी का जन्म सन् 1809 में इटली के बोलोग्ना शहर में हुआ था इन्ही डा0 मैटी का जन्मोत्सव समारोह प्रति वर्ष पूरे देश में मैटी जयन्ती के रूप में मनाया जाता है।

24 अप्रैल – इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मानित स्थान दिलाने व इसका प्रचार व प्रसार तथा चिकित्सा व शिक्षा विधि सम्मत तरीके से पूरे प्रदेश में चलती रहे इसी कल्पना को साकार करने हेतु 24 अप्रैल, 1975 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 नामक संगठन की स्थापना डा0 एम0 एच0 इदरीसी द्वारा की गयी, वर्तमान में डा0 इदरीसी इस सस्था के चेयरमैन हैं, इसलिए इस तिथि को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं।

21 जून – 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक आदेश जारी कर देश में व्याप्त अनिश्चिता को दूर कर दिया था और पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए अधिकृत कर दिया था, इसी 21 जून, 2011 के आदेश का सर्वप्रथम अनुपालन एवं क्रियान्वयन सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी विजय है इसलिए इस तिथि को हम विजय दिवस के रूप में मनाते है।

25 जुलाई – इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को पूर्ण अधिकार व सम्मान प्राप्त हो इसी लड़ाई को लड़ने के लिए 25 जुलाई 1978 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया नामक संगठन की स्थापना डा0 एम0 एच0 इदरीसी द्वारा की गयी, इसका प्रसार भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में हो चुका है, इसी संगटन के लिए 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, आज की तिथि में भारत में यही एकमात्र भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी हैं, इसे हम इहमाई दिवस के रूप में मनाते है।

4 सितम्बर – 4 सितम्बर, 1896 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी का निधन हुआ था, हम उनके बताये रास्ते पर चलते रहे व उनके द्वारा अविष्कृत चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होता रहे, इसी संकल्प के साथ हम डा0 मैटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यह दिन मैटी निवार्ण दिवस के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाता है।

30 नवम्बर – भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पताका लहराती रहे इसके लिए वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक, इलेक्ट्रो होम्योपैथी साहित्य के सृजनकर्ता, पैथी के लिए जीवन पर्यन्त जूझते रहने वाले मसीह–उल–हिन्द डा0 नन्दलाल सिन्हा का जन्म 30 नवम्बर, 1889 में हुआ था, लोग इनसे प्रेरणा लेते रहें व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए काम करते रहें इसलिए बाबा–ए–इलेक्ट्रो होम्योपैथी डा नन्दलाल सिन्हा का जन्म दिवस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त तिथियों में बोर्ड कार्यालय खुला रहता है और कार्यक्रम होते हैं।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान की वास्तविकता और आवश्यकता

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसके लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 जून, 2011 व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं इन आदेशों का अनुपालन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के पत्र दिनांक 2–9–2013 के द्वारा क्रियान्वित हो रहे हैं परन्तु प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, फलतः वह अभी भी स्वयं को असहज सा महसूस कर रहा है जबकि उसे चिकित्सा व्यवसाय हेतु पूर्ण शासकीय आदेश प्राप्त है, इन परिस्थितियों से उबरने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथों को जागरूक करने हेतु 05 अप्रैल, 2015 से अनवरत प्रदेश में चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

चिकित्सक कौन है ?

चिकित्सक कौन है ? यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है सामान्य भाषा में जो चिकित्सा कार्य कर रोगी को रोगमुक्त करे उसे चिकित्सक कहते हैं लेकिन कानूनी भाषा में वैधानिक चिकित्सक वह है जो किसी विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था/बोर्ड या परिषद द्वारा शिक्षित एवं प्रशिक्षित व राज्य में प्रचलित कानूनों के तहत पंजीकृत हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

अधिकार क्या है ?

किसी भी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चिकित्सक को उस विधा में अर्हताधारी व पंजीकृत होना आवश्यक है विधा मान्यता प्राप्त या अधिकार प्राप्त हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक अर्धशासकीय पत्र से स्पष्ट है कि यह अधिकार प्राप्त है, पत्र के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें तथा सरकार द्वारा वांछित मापदण्डों की पूर्ति करें तो सरकार मान्यता देने पर विचार करेगी, इसी तरह अधिकारो का सिलसिला चलते चलते 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश के साथ पटाक्षेप प्राप्त कर चुका है परन्तु अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनाधिकृत, अप्रशिक्षित व अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में योजित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा मुख्य सचिव,उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–1–2004 के निर्देशानुसार उ0प्र0 में जनपदीय पंजीयन की व्यवस्था निर्मित हुई है जिसके अनुसार सभी चिकित्सकों का पंजीयन जिले के सी0एम0ओ0 कार्यालय तथा डिग्री/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के यहाँ निर्धारित है।

स्थिति बदल चुकी है

वर्तमान में इस व्यवस्था में संशोधन हो गया है अब प्रदेश के आयुष अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1297/71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा व्यवस्था की गयी कि एलोपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन सी0 एम0 ओ0 के कार्यालय में, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सकों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के कार्यालय में तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन ज़िला होम्योपैथिक कार्यालय में किया जा रहा है, संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के आलोक एवं चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पाँच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 212 व 04–12–2015 एवं 18–09–2015 तथा 01–10–2015 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा नियुक्त ज़िला प्रभारी/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (EHMAI)

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इहमाई जो एक स्वतंत्र नियामक की भूमिका में है जिसके लिये भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 21 जून 2011 को एक आदेश जारी किया है, जिसकी प्रति सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों को अति स्पष्ट निर्देश के साथ प्रेषित की है।

यदि आप अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो

प्रैक्टिस पर न कभी रोक थी और न है और न ही होगी

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों व जनहित में प्रसारित

Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, LUCKNOW-226001
Adm.office: 127/204 "S" Juhi, KANPUR-208014
web site: www.behm.org.in Email:registrarbehmup@gmail.com

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. R.K. Kapoor 9335916076
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
7	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
8	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	Dr. S. N. Rai 9450088327
9	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
10	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	Dr. P. K. Srivastav 9415826491
11	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
12	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
13	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
14	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	Dr. Gaya Prasad 8874429538
15	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	Dr. N.B.Nigam 7007352458
16	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
17	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
18	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
19	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	Dr. Prince Srivasta 7398941680
20	63	Kushwaha Study Centre of E.H.	KANPUR	Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
21	81	Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
22	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	Dr. P. K. Raghav 7505186156
23	92	E.H. Examination Centre	MORADABAD	Dr. S.K. Saxena 8171869605
24	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704
25	95	E.H. Examination Centre	SONIPAT	Dr. Vikas 7302653934

Registrar
B.E.H.M. U.P.

बी०ई०एच०एम० के लिए डा० अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।